



2026: AHC: 52275-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 475/2026

भगवानदास एवं 2 अन्ययाचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्यप्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : रामा शंकर मिश्रा

प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 45 -

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रामा शंकर मिश्रा के ब्रीफ होल्डिंग अधिवक्ता सुश्री अलंकृता दुबे, राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. शुरुआत में ही, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री रामा शंकर मिश्रा के ब्रीफ होल्डिंग अधिवक्ता सुश्री अलंकृता दुबे ने बार में यह बयान दिया है कि वह वर्तमान रिट याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहती हैं और इसे वापस लेना चाहती हैं।
3. विद्वान ए.जी.ए. को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त के आलोक में, यह रिट याचिका वापस लेने के आधार पर **खारिज** की जाती है।

16 मार्च, 2026 ज़फर

(न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।